2017 का अधिनियम संख्यांक 248

[दि स्पेसिफिक रिलीफ (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

# विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017

**विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

1963 का 47

**2.** विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) में "वह अथवा" शब्दों के पश्चात् "कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन ।

"10. न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा (2), धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, "न्यायालय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर "कराया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 14 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

ऐसी संविदाएं, जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं हैं ।

"14. निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टतया प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात् :--

(क) जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ख) कोई ऐसी संविदा, जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता ;

(ग) कोई ऐसी संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता ;

(घ) कोई ऐसी संविदा, जो अवधारणीय प्रकृति की है ।

न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति ।

14क. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी भी वाद में, जहां न्यायालय, वाद में अंतर्वलित किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे विवाद्यक पर उसको रिपोर्ट करने का निदेश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त विवाद्यक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा । 1908 का 5

(2) न्यायालय किसी व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निदेश दे सकेगा ।

(3) विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट, वाद के अभिलेख का भाग होगी ; और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद का कोई भी पक्षकार वैयक्तिक रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में, जिसमें उसने निरीक्षण किया है, परीक्षा कर सकेगा ।

(4) विशेषज्ञ ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा, जो न्यायालय नियत

करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेय होंगे, जो न्यायालय निदेश करे ।"।

धारा 15 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 15 में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(चक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, जो समामेलन से उत्पन्न होती है ।"।

धारा 16 का संशोधन ।

**7.** मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है ; या " ;

(ii) खंड (ग) में,--

(I) "जो यह प्रकथन करने और साबित करने में" शब्दों के स्थान पर, "जो यह साबित करने में" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, "यह प्रकथन करना होगा" शब्दों के स्थान पर, "यह साबित करना होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 19 का संशोधन ।

**8.** मूल अधिनियम की धारा 19 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां वह नई सीमित दायित्व भागीदारी, जो समामेलन से उत्पन्न होती है ।"।

अध्याय 2 के अधीन उपशीर्ष का संशोधन ।

**9.** धारा 19 के पश्चात् आने वाले उपशीर्ष "न्यायालय का विवेकाधिकार और शक्तियां" के स्थान पर "संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन, आदि" उपशीर्ष रखा जाएगा ।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

**10.** मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

संविदा का प्रतिस्थापित पालन ।

1872 का 9

"20. (1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में, अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का, विकल्प रखेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को तीस दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस, उससे ऐसे समय

के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, नहीं दे देता हो और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा कराएगा :

परंतु वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा (1) के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो ।

(3) जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को, जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी ।

अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध ।

20क. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो ।

**स्पष्टीकरण**–इस धारा, धारा 20ख और धारा 41 के खंड (जक) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजना" पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत है ।

(2) केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केंद्रीय सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी ; तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विशेष न्यायालय ।

20ख. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी ।

1908 का 5

वादों का शीघ्र निपटारा ।

20ग. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु उक्त अवधि को न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

**11.** मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, "या तो अतिरिक्त या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

1940 का 10

1996 का 26

धारा 25 का संशोधन ।

**12.** मूल अधिनियम की धारा 25 में, "माध्यस्थम् अधिनियम, 1940" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 41 का संशोधन ।

**13.** मूल अधिनियम की धारा 41 में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(जक) यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या विलंब होता है अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषयवस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है ।"।

अनुसूची का अंत:स्थापन ।

**14.** मूल अधिनियम की भाग 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

## "अनुसूची

**[धारा 20क(1) और धारा 41(जक) देखिए]**

## परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग

| क्र.सं. | प्रवर्ग | अवसंरचना उप सेक्टर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | परिवहन | (क) सड़क और पुल<br>(ख) पत्तन (जिसके अंतर्गत कैपिटल झमाई भी है)<br>(ग) पोतप्रांगन (जिसके अंतर्गत तटीय नगरभाग, घुमावदार बेसिन, घाट पर लगाने और डाकिंग सुविधा, जलांतरण मंच या पोत उत्थापक की आवश्यक विशेषताओं सहित प्लवमान या भू-आधारित सुविधा भी है और जो पोत निर्माण/ मरम्मत/भंजन क्रियाकलाप करने के लिए स्व:पर्याप्त है)<br>(घ) अंतरदेशीय जलमार्ग<br>(ड) विमानपत्तन<br>(च) रेल पटरी, सुरंग, सेतु, पुल (जिसके अंतर्गत सहायक टर्मिनल अवसंरचना भी है, जैसे लदाई/उतराई टर्मिनल, स्टेशन और भवन)<br>(छ) नगरीय पब्लिक परिवहन (नगरीय सड़क परिवहन की दशा में रोलिंग स्टाक के सिवाय) |
| 2. | ऊर्जा | (क) विद्युत उत्पादन<br>(ख) विद्युत पारेषण<br>(ग) विद्युत वितरण<br>(घ) तेल पाइपलाइन<br>(ड.) तेल/गैस/द्रवित प्राकृतिक गैस(एलएनजी) भंडारण सुविधा (जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण भी है)<br>(च) गैस पाइपलाइन (जिसके अंतर्गत नगर गैस वितरण नेटवर्क भी है) |
| 3. | जल और स्वच्छता | (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>(ख) जल प्रदाय पाइपलाइन<br>(ग) जल उपचार संयंत्र<br>(घ) मल एकत्रण उपचार और व्ययन प्रणाली<br>(ड.) सिंचाई (बाँध जलसरणी तटबंध आदि) |

| | | |
|---|---|---|
| | | (च) तूफान जल निकास प्रणाली<br>(छ) गारे की पाइपलाइन |
| 4. | संचार | (क) दूरसंचार (स्थिर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आप्टिक फाइबर, तार, केबल नेटवर्क भी है, जो ब्राडबैंड और इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं)<br>(ख) दूरसंचार टावर<br>(ग) दूरसंचार और दूरभाष सेवाएं |
| 5. | सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना | (क) शिक्षा संस्थाएं (पूंजी स्टाक)<br>(ख) खेल अवसंरचना (जिसके अंतर्गत खेलों और खेल संबंधी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादमियों हेतु खेल स्टेडियम और अवसंरचना का उपबंध भी है)<br>(ग) अस्पताल (पूंजी स्टाक, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थाएं और निदान केंद्र भी हैं)<br>(घ) पर्यटन अवसंरचना, अर्थात् (i) दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के बाहर अवस्थित तीन सितारा या उच्चतर प्रवर्ग के वर्गीकृत होटल ; (ii) रज्जू मार्ग और केबल कार<br>(ङ) औद्योगिक क्रियाकलाप, जैसे खाद्य पार्क, टैक्सटाइल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों वाले औद्योगिक पार्कों, अन्य पार्कों के लिए सामूहिक अवसंचना<br>(च) कृषि और बागान उत्पाद के लिए पश्च फसल भंडारण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत शीत भंडारण भी हैं<br>(छ) टर्मिनल बाजार<br>(ज) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं<br>(झ) शीत श्रृंखला (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व शीतकरण के लिए, कृषि और सहयुक्त उत्पाद, सामुद्रिक उत्पाद और मांस के परिरक्षण या भंडारण के लिए शीत कक्ष सुविधा भी हैं)<br>(ञ) सस्ते आवास (जिसके अंतर्गत साठ वर्गमीटर से अनधिक कारपेट क्षेत्र वाले आवास यूनिटों के लिए कम से कम पचास प्रतिशत फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)/फर्शी स्थान सूचकांक (एफ.एस.आई.) का उपयोग करने वाली आवास परियोजना भी है)<br>**स्पष्टीकरण**–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "कारपेट क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा, जो भूसंपदा (विनियमन |

| | | |
|---|---|---|
| | | और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है ।"। |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 को, विनिर्दिष्ट अनुतोष के कतिपय प्रकारों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन, विनिर्दिष्टतया अप्रवर्तनतीय संविदाओं, ऐसे पक्षकारों से, जो विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकते हैं और जिनके विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकता है, आदि से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं । यह न्यायालयों को विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री के लिए और व्यादेश नामंजूर करने आदि के लिए व्यापक वैवेकिक शक्तियां भी प्रदान करता है । व्यापक वैवेकिक शक्तियों के परिणामस्वरूप न्यायालय अधिकतर मामलों में नुकसानी को साधारण नियम के रूप में प्रदान करते हैं और विनिर्दिष्ट पालन को अपवाद के रूप में प्रदान करते हैं ।

**2.** अधिनियम के अधिनियमन से बृहत्त आर्थिक विकास से भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप आए हैं, जिसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी, पब्लिक उपयोगिता अवसंरचना विकास आदि भी हैं ; जिसने संविदाओं के प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए, शीघ्रतया विवादों के निपटारे के लिए विधियों के संबंध में व्यापक सुधारों को प्रोत्साहित किया है । यह अनुभव किया गया है कि अधिनियम हमारे देश में हो रहे शीघ्रगामी आर्थिक विकास और अवसंरचना क्रियाकलापों के विस्तार के साथ मेल नहीं खाता है, जिसकी देश के समग्र विकास के लिए आवश्यकता है ।

**3.** उपरोक्त दृष्टिकोण से विनिर्दिष्ट पालन मंजूर करने के लिए न्यायालयों के व्यापक विवेकाधिकार को समाप्त करने और कतिपय सीमित आधारों के अध्यधीन अपवाद के बजाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को साधारण नियम बनाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त संविदाओं के प्रतिस्थापित पालन के उपबंध का प्रस्ताव है, जहां किसी संविदा को भंग किया जाता है, वहां वह पक्षकार, जो पीड़ित है, किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन कराने का और व्यय और खर्चे, जिसके अंतर्गत उस पक्षकार से, जो संविदा के अपने भाग का पालन करने में असफल होता है, प्रतिकर भी है, वसूल करने का हकदार होगा । यह उस पक्षकार के विकल्प पर अनुकल्पिक उपचार होगा, जो संविदा के भंग से पीड़ित है । इसमें, न्यायालयों को विनिर्दिष्ट विवाद्यकों पर विशेषज्ञों को नियुक्त करने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, आदि के लिए समर्थ बनाने का प्रस्ताव भी है ।

**4.** अवसंरचना परियोजना संविदाओं के लिए एक नई धारा 20क का प्रस्ताव है, जिसमें यह उपबंध है कि न्यायालय किसी ऐसे वाद में कोई व्यादेश मंजूर नहीं करेगा, जहां उसे यह प्रतीत होता है कि व्यादेश मंजूर किए जाने से अवसंरचना परियोजना के जारी रखने या पूरा होने में बाधा या विलंब कारित होता हो । आर्थिक कार्य विभाग परियोजनाओं के विभिन्न प्रवर्गों और अवसंरचना उप सेक्टरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नोडल अभिकरण है, जिसे विधेयक की अनुसूची के रूप में उपबंधित किया गया है और यह प्रस्ताव है कि उक्त विभाग ऐसे किसी प्रवर्ग या उप सेक्टरों से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगा ।

**5.** अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं की बाबत वादों का विचारण करने के लिए तथा प्रतिवादी को समन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर ऐसे

वाद का निपटारा करने के लिए और उक्त अवधि को, उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् कुल मिलाकर छह मास की और अवधि तक बढ़ाने के लिए भी विशेष न्यायालयों को अभिहित करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रवि शंकर प्रसाद**

15 दिसंबर, 2017

## उपाबंध

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 से उद्धृत

(1963 का 47)

*  *  *  *  *

स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद ।

**6.** (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बिना स्थावर सम्पत्ति से विधि के सम्यक् अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धत कर सकेगा ।

*  *  *  *  *

## संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टत: प्रवर्तन कराया जा सकता है

दशाएं जिनमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है ।

**10.** इस अध्याय में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायलय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा—

(क) जबकि उस कार्य का, जिसके करने का करार हुआ है अपालन द्वारा पारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो ; अथवा

(ख) जबकि वह कार्य, जिसके करने का करार हुआ है ऐसा हो कि उसके अपालन के लिए धन के रूप के प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाता हो ।

**स्पष्टीकरण**—जब तक और जहां तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए न्यायालय या उपधारित करेगा कि—

(i) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथायोग्य अनुतोष नहीं दिया जा सकता ; तथा

(ii) जंगम सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथायोग्य अनुतोष नहीं दिया जा सकता ; तथा

(क) जहां कि सम्पत्ति मामूली वाणिज्य-वस्तु न हो अथवा वादी के लिए विशेष मूल्य या हित की हो अथवा ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहीं हो ;

(ख) जहां कि सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो ।

दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय हैं ।

**11.** (1) इस अधिनियम के अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, न्यायालय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा जबकि वह कार्य, जिसके करने का करार हुआ है, किसी न्यास के, पूर्णत: या भागत: पालन में हो ।

*  *  *  *  *

संविदाएं जो विनिर्दिष्टत: प्रवर्तनीय नहीं है ।

**संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टत: प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है**

**14.** (1) निम्नलिखित संविदाएं विनिर्दिष्टत: प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती, अर्थात् :—

(क) वह संविदा जिसके अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष हो ;

(ख) वह संविदा जिसमे सूक्ष्म या बहुत से ब्यौरे हों अथवा जो पक्षकारों की वैयक्तिक अर्हताओं या स्वेच्छा पर इतनी आश्रित हो अथवा अन्यथा अपनी प्रकृति के कारण ऐसी हो कि न्यायालय उसके तात्विक निबन्धनों के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन न करा सकता हो ;

(ग) वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसेय हो ;

(घ) वह संविदा जिसके पालन में ऐसा सतत्-कर्तव्य का पालन अन्तर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके ।

(2) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) में यथा उपबन्धित के सिवाय वर्तमान या भावी मतभेदों को माध्यस्थम् के लिए निर्देशन करने की कोई भी संविदा विनिर्दिष्टत: प्रवर्तित नहीं की जाएगी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसने (ऐसे माध्यस्थम्-करार से, जिसे उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों, भिन्न) ऐसी संविदा की हो और उसका पालन करने से इंकार कर दिया हो किसी ऐसे विषय के बारे में वाद लाए, जिसके निर्देशन की उसने संविदा की है, तो ऐसी संविदा का अस्तित्व उस वाद का वर्जन करेगा ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करा सकेगा :—

(क) जहां कि वाद ऐसी संविदा के प्रवर्तन के लिए हो, और—

(i) किसी ऐसे ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए, जिसे उधार लेने वाला तत्क्षण प्रतिसंदत्त करने को रजामन्द न हो, बन्धक निष्पादन करने या कोई अन्य प्रतिभूति देने के लिए हो :

परन्तु जहां कि उधार का केवल एक भाग दिया गया हो, वहां यह तब जब कि उधार देने वाला संविदा के निबन्धनों के अनुसार उधार का अवशिष्ट भाग देने को रजामन्द हो, अथवा

(ii) किसी कम्पनी के कोई डिबेंचर लेने और उनने निमित्त संदाय करने के लिए हो ;

(ख) जहां कि वह,—

(i) भागीदारी के प्ररूपिक विलेख के निष्पादन के लिए हो, यदि भागीदारी के कारबार का चलाना पक्षकारों ने प्रारम्भ कर दिया हो ;

अथवा

(ii) किसी फर्म के भागीदार के अंश के क्रय के लिए हो ;

(ग) जहां कि वाद ऐसी संविदा का प्रवर्तन कराने के लिए हो जो कोई निर्माण तैयार करने के लिए या भूमि पर कोई अन्य संकर्म के निष्पादन के लिए है :

परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात् :—

(i) निर्माण या अन्य संकर्म संविदा के पर्याप्त रूप से प्रमित शब्दों में ऐसे वर्णित हों कि न्यायालय निर्माण या संकर्म की ठीक-ठीक प्रकृति का अवधारण करने में समर्थ हो सके ;

(ii) संविदा के पालन में वादी का सारभूत हित हो और हित भी ऐसी प्रकृति का हो कि धन के रूप में प्रतिकर उसके अपालन के लिए यथायोग्य अनुतोष न हो ; तथा

(iii) संविदा के अनुसरण में प्रतिवादी ने उस समस्त भूमि का या उसके किसी भाग का कब्जा अभिप्राप्त कर लिया हो जिस पर निर्माण तैयार या अन्य संकर्म निष्पादित किया जाना है ।

## वे व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी

कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा ।

**15.** इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा—

* * * * *

(च) शेष के उत्तरभोगी द्वारा, जहां कि करार वैसी प्रसंविदा हो, और उत्तरभोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा ;

* * * * *

अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन ।

**16.** संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नही कराया जा सकता—

(क) जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो ; अथवा

* * * * *

(ग) जो यह प्रकथन करने और साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबन्धनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबन्धनों का, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामन्द रहा है ।

**स्पष्टीकरण**—खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए,—

* * * * *

(ii) वादी को यह प्रकथन करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुक, अथवा पालन करने को तैयार और रजामन्द है ।

* * * * *

पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चात्वर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष ।

**19.** इस अध्याय द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया हा सकेगा—

* * * * *

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक, यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था, तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था ;

* * * * *

**न्यायालय का विवेकाधिकार और शक्तियां**

विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने के बारे में विवेकाधिकार ।

**20.** (1) विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारिता वैवेकिक है और न्यायालय ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है किन्तु न्यायालय का यह विवेकाधिकार मनमाना नहीं है वरन् स्वस्थ और युक्तियुक्त, न्यायिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित तथा अपील न्यायालय द्वारा शुद्धिशक्य है ।

(2) निम्नलिखित दशाएं ऐसी है जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री न करने के अपने विवेकाधिकार का उचिततया प्रयोग कर सकेगा—

(क) जहां कि संविदा के निबन्धन या संविदा करने के समय पक्षकारों का आचरण या अन्य परिस्थितियां, जिनके अधीन संविदा की गई थी, ऐसी हों कि संविदा यद्यपि शून्यकरणीय नहीं है, तथापि वादी को प्रतिवादी के ऊपरपर अऋजु फायदा देती है ; अथवा

(ख) जहां कि संविदा का पालन प्रतिवादी को कुछ ऐसे कष्ट में डाल देगा जिसकी वह पहले से कल्पना नहीं कर सका था, और उसका अपालन वादी को वैसे किसी कष्ट में नहीं डालेगा ;

(ग) जहां कि प्रतिवादी ने संविदा ऐसी परिस्थितियों के अधीन की हो जिनसे यद्यपि संविदा शून्यकरणीय तो नहीं हो जाती किन्तु उसके विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन असाम्यिक हो जाता है ।

**स्पष्टीकरण 1**—प्रतिफल की अपर्याप्तता मात्र या यह तथ्य मात्र कि संविदा प्रतिवादी के लिए दुर्भर या अपनी प्रकृति से ही अदूरदर्शी है, खण्ड (क) के

अर्थ के भीतर अऋजु फायदा अथवा खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर कष्ट न समझा जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 2**—यह प्रश्न कि संविदा का पालन खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर प्रतिवादी को कष्ट में डाल देगा या नहीं, संविदा के समय विद्यमान परिस्थितियों के प्रति निर्देशन से अवधारित किया जाएगा सिवाय उन दशाओं के जिनमें कि कष्ट संविदा के पश्चात् वादी द्वारा किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप हुआ हो ।

(3) किसी ऐसी दशा में जहां कि वादी ने विनिर्दिष्टत: पालनीय संविदा के परिणामस्वरूप सारवान कार्य किए हैं या हानियां उठाई हैं वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने के विवेकाधिकार का उचितत्या प्रयोग कर सकेगा ।

(4) न्यायालय किसी पक्षकार को संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने से इंकार केवल इस आधार पर नहीं करेगा कि संविदा दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर प्रवर्तनीय नहीं है ।

कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति ।

**21.** (1) किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी, ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा ।

* * * * *

कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति ।

**25.** किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी, ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा ।

* * * * *

व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है ।

**41.** व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता—

* * * * *

(ज) जब कि समानत: प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वार निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यासभंग की दशा के ;

* * * * *

GMGIPMRND—2942LS(CRC)—18-12-2017.